सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

माननीय प्रबन्ध परिषद की 56वीं बैठक दिनाँक 02 सितम्बर, 2024 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 56वीं बैठक दिनाँक 02 सितम्बर, 2024 को पूर्वान्ह 11:30 बजे से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् रही हैः–

1.	डा0 के0के0 सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 विधायक	सदस्य
3.	श्री रफीक अंसारी, मा0 विधायक	सदस्य
4.	श्री रवीन्द्र, प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
5.	डा0 सीमा जग्गी, सहायक महानिदेशक, आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली।	सदस्य
6.	डा0 सुधांशु सिंह, कृषि वैज्ञानिक	
7.	श्री देवव्रत त्यागी, प्रगतिशील कृषक	सदस्य
8.	श्री अतुल कुमार सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ। (अपर मुख्य सचिव वित्त, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
9.	डा0 अशोक कुमार यादव, संयुक्त निदेशक कृषि मेरठ मण्डल, मेरठ (निदेशक कृषि, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिनिधि)	सदस्य
10.	डा0 मोनिका सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
11.	डा0 राजेन्द्र कुमार शर्मा, अपर निदेशक, पशुपालन, मेरठ मण्डल, मेरठ (निदेशक पशुपालन, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)	सदस्य
12.	श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी, वित्त नियंत्रक	सचिव

मा0 प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद में नवनियुक्त सदस्य डा0 सुधांशु सिंह, कृषि वैज्ञानिक, निदेशक, ईरी कैम्पस, वाराणसी एवं श्री देवव्रत त्यागी, प्रगतिशील कृषक, मुजफ्फरनगर तथा प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन का बुके भेंटकर स्वागत करते हुए मा0 प्रबन्ध परिषद के अन्य मा0 सदस्यों का भी स्वागत किया गया। विश्वविद्यालय

Dr. K.K. SINGH
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

की मा0 प्रबन्ध परिषद में श्री अभय दयाल भी कृषि उद्योगिपति के पद पर नामित हुए है, जोकि बैठक में उपस्थित नही हो पाये, उनको भी शुभकामनायें प्रेषित की गयी। स्वागोतपरान्त मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद के नये सदस्यों के समक्ष विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित कोर्सो/डिग्रियों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। विश्वविद्यालय में संचालित कुल 55 परियोजनाओं के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थानों से देश के अन्तर्गत एवं विदेशी संस्थानों से किये गये एम0यो0यू0 के बारे में भी अवगत कराया गया। क्षेत्र के किसानों को विश्वविद्यालय एवं इससे सम्बद्ध कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा खेती से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराने एवं विश्वविद्यालय के पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा महाविद्यालय में उपलब्ध पशु एम्बुलेन्स के माध्यम से किसानों/पशुसेवकों के क्षेत्रों/गावों में जाकर पशुओं को होने वाली विभिन्न बीमारियों से सतर्क एवं मुफ्त ईलाज की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

प्रस्ताव संख्या 56.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 55वीं बैठक दिनाँक 20 फरवरी, 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 55वीं बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 56.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 55वीं बैठक दिनाँक 20 फरवरी, 2024 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 55वीं बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2024 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

Dr. K.K. SINGH
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स0व0प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

प्रस्ताव संख्याः 56.3— सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कार्मिकों के वेतन वहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 2780785/2024/कृशिअ—67—1002 (002)/1/2024 दिनांक 04 अप्रैल, 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—2025 में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के कार्मिकों के वेतन वहन हेतु वेतन मद के अन्तर्गत रू0 4944.01 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उपर्युक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या—1 पर इंगित किया गया है कि "धनराशि कोषागार से आहरित करके मा0 प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि व्यावर्तन नही किया जायेगा/किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नही किया जायेगा।"

जिसपर मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्याः 56.4— सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ हेतु वित्तीय वर्ष 2024—25 में गैर वेतन के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 2781202/2024/कृशिअ—67—1002 (002)/1/2024 दिनांक 05 अप्रैल, 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024—2025 में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ हेतु गैर वेतन मद के अन्तर्गत रू0 700.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की

Dr. K.K. SINGH
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ—250110

गयी है। साथ ही उपर्युक्त शासनादेश के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ पर तकनीकी प्रशिक्षण हेतु रू0 5.83 लाख की धनराशि की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है।

उपर्युक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–4 पर इंगित किया गया है कि "धनराशि कोषागार से आहरित करके मा0 प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि व्यावर्तन नही किया जायेगा/किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नही किया जायेगा।"

जिसपर मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्याः 56.5– सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित पदों के सापेक्ष दिनांक 01.04.2005 व उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए नियोक्ता अंशदान (एन0पी0एस0) हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 2781969/2024/कृशिअ–67–1002 (003)/1/2024 दिनांक 15 अप्रैल, 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–2025 में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित पदों के सापेक्ष दिनांक 01.04.2005 व उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए नियोक्ता अंशदान (एन0पी0एस0) हेतु रू0 625.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

Dr. K.K. SINGH
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स0व0प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

उपर्युक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–2 पर इंगित किया गया है कि **"धनराशि कोषागार से आहरित करके मा० प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी।"**

जिसपर मा० प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्याः 56.6– **तकनीकी महाविद्यालय एवं कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय के पदों पर हुये साक्षात्कार के लिफाफे खोलने के संबंध में।**

उपरोक्त प्रस्ताव के संदर्भ में अवगत कराना है कि तकनीकी महाविद्यालय एवं कटाई उपरान्त प्रौद्योगिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय के पदों पर हुये साक्षात्कार के लिफाफे खोलने के संबंध में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि इस प्रकरण पर समयाभाव के कारण शासन स्तर पर विचार–विमर्श नही हो सका इसीलिए आगामी बैठक में लिफाफे खोलने की कार्यवाही की जाये। जिसपर सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गयी। साथ ही साथ ही विश्वविद्यालय में अन्य महाविद्यालयों के विभिन्न पदों पर विज्ञप्ति/साक्षात्कार को करने की अनुमति नियमानुसार मा० सदस्यों द्वारा प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त मा० सदस्यों द्वारा यह भी स्वीकृति प्रदान की गयी कि बंद लिफाफो को खोले जाने तक अपरिहार्य स्थिति में संदर्भित विभाग/महाविद्यालय के पदों पर विषयवार गेस्ट फैकल्टी के रूप में कुलपति बिना विज्ञापन एवं साक्षात्कार के अपने स्तर पर रख सकते है।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/कुलसचिव)

Dr. K.K. SINGH
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T. Meerut

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

प्रस्ताव संख्याः 56.7— **कृषि विज्ञान केन्द्रों पर नियुक्त 05 विषय वस्तु विषेषज्ञों को अनुबन्ध पत्र में दी गयी व्यवस्था में दी गयी शर्त से छूट/मुक्त प्रदान करते हुये कार्यमुक्त करने के संबंध में।**

कृपया अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त होने वाले शिक्षकों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त होने वाले विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा अनुबन्ध पत्र भरे जाते है। विश्वविद्यालय में लागू चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के परिनियमावली के अध्याय—21 की धारा—28(आर) (सी)-II के अनुसार परिवीक्षा अवधि दो वर्ष निर्धारित की गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के विषय वस्तु विशेषज्ञों के लिये निर्धारित अनुबन्ध पत्र में दो वर्ष के परिवीक्षा अवधि के मध्य सेवा छोड़ने वाले कार्मिकों से जमा कराये जाने वाले धनराशि के संबंध में निम्न व्यवस्था दी गयी है।

1. That the employee shall serve the University for a minimum period of two years, unless his services are terminated by the University on one month's pay, in lieu thereof, at any time, prior to the expiry of the period. During this period he shall not be entitled to apply for any post outside the University or for any fellowship or assistance ship in any Indian or Foreign University/Organization.

17. That in case of breach of clause 3 of contract, the employee will pay to the University an amount not less than the salary for the period by which the period of services falls short of 2 years or such other amount as determined by the Competent Authority.

वर्तमान मे कृषि विज्ञान केन्द्रों पर नवनियुक्त 05 विषय वस्तु विशेषज्ञों क्रमशः डा0 सुधीर कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ/टी6 (पादप सुरक्षा), डा0 निरंजन सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ/टी6 (उद्यान), श्री रूपम् सिन्हा, विषय वस्तु विशेषज्ञ/टी6 (एल.पी.एम.), मौ0 हसनैन, विषय वस्तु विशेषज्ञ/टी6 (सस्य) एवं डा0 अभिनव कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ/टी6 (सस्य) द्वारा अन्य विश्वविद्यालय तथा आई.सी. ए.आर. संस्थान में नियुक्त होने के कारण अपने त्याग पत्र प्रेषित किये है तथा यह अनुरोध भी किया है कि उन्हें अनुबन्ध पत्र का पालन न करने के कारण देय पेनल्टी की धनराशि में छूट प्रदान करने का अनुरोध के दृष्टिगत माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यों

Dr. K.K. SINGH
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ—250110

द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत 05 विषय वस्तु विशेषज्ञों के द्वारा पद से त्याग पत्र व उनके द्वारा भरे गये बान्ड की शर्त क्रम संख्या 03 व 17 जो कि कम से कम दो वर्ष सेवा करने तथा इससे कम की स्थिति में दो वर्ष की सेवा अवधि में शेष रह गये समय का वेतन या ऐसी धनराशि जो कुलपति जी द्वारा निर्धारित है से exempt करने के अनुरोध पर मा0 सदस्यों द्वारा यह मन्तव्य व्यक्त किया गया कि चूंकि विषय वस्तु विशेषज्ञों की नियुक्ति मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदित नही की जाती है, अतः कुलपति जी विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति गठित कर उस समिति द्वारा संस्तुतियों के आधार पर उचित निर्णय ले सकते है।

उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 सदस्यों द्वारा भी यह अभिमत व्यक्त किया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों से एस0एम0एस0 का पद छोड़ने वाले कार्मिकों के स्थान पर पुनः विज्ञापन विज्ञापित करते हुए भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर ली जाये एवं उ0प्र0 शासन से आवश्यक निर्देश भी प्राप्त कर लिये जाये।

(कार्यवाहीः निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/निदेशक प्रसार)

प्रस्ताव संख्याः 56.8— **विद्वत परिषद की 91वीं बैठक दिनांक 06.05.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 91वीं बैठक दिनांक 06.05.2024 में लिए गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

साथ ही साथ उपर्युक्त बैठक में स्वीकृत संकल्पों के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी एवं बैठक में उपस्थित कुलसचिव द्वारा विस्तारपूर्वक मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया।

इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा अभिमत व्यक्त

Dr. K.K. SINGH
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

किया गया कि विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद में वित्तीय भार से सम्बन्धित प्रस्तावों पर उ0प्र0 शासन की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्याः 56.9– **विद्वत परिषद की 92वीं बैठक दिनांक 31.08.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।**

विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 92वीं बैठक दिनांक 31.08.2024 में लिए गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

साथ ही साथ उपर्युक्त बैठक में स्वीकृत संकल्पों के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी एवं बैठक में उपस्थित कुलसचिव द्वारा विस्तारपूर्वक मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया।

माननीय कुलपति जी द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ एवं पूर्व सैनिक पुनर्वास महानिदेशालय, नई दिल्ली के मध्य हुए एम0ओ0यू0 के संदर्भ मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को अवगत कराया गया कि इस एम0ओ0यू0 पर दिनांक 04.09.2024 को आयोजित होने वाले 17वें दीक्षांत समारोह में मा0 राज्यपाल महोदया के समक्ष हस्ताक्षर किये जायेगें।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्याः 56.10– **विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक 02.09.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन**

विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 20वीं बैठक दिनांक 02.09.2024 में लिए गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक)

Dr. K.K. SINGH
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स0व0प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

प्रस्ताव संख्याः 56.11– **दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर0आर0टी0एस0 के अन्तर्गत मोदीपुरम डिपो स्टेशन के प्रवेश/निकास तक पहुंच मार्ग के चौड़ीकरण हेतु विश्वविद्यालय की भूमि खसरा नम्बर–85 में से 0.2373 हैक्टेअर एवं खसरा नम्बर–96 का 0.2436 हैक्टेअर भूमि एन0सी0आर0टी0सी0 के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आर0आर0टी0एस0 के अन्तर्गत मोदीपुरम डिपो स्टेशन के प्रवेश/निकास तक पहुंच मार्ग के चौड़ीकरण हेतु विश्वविद्यालय की भूमि खसरा नम्बर–85 में से 0.2373 हैक्टेअर एवं खसरा नम्बर–96 का 0.2436 हैक्टेअर भूमि एन0सी0आर0टी0सी0 के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 विधायक अभिमत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय की भूमि खसरा नम्बर–85 में से 0.2373 हैक्टेअर एवं खसरा नम्बर–96 का 0.2436 हैक्टेअर भूमि एन0सी0आर0टी0सी0 को हस्तांतरित करने के लिए परिसर में होने वाली तोड़–फोड़ को एन0सी0आर0टी0सी0 द्वारा ही पुर्ननिर्माण कराये जाने के प्रयास किये जाये एवं भूमि हस्तांतरण के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर लिये जाये।

जिसपर मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः अधिष्ठाता, तकनीकी महाविद्यालय/नोडल अधिकारी, निर्माण)

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त मा0 सदस्यों द्वारा निम्नवत अभिमत व्यक्त किये गयेः–

1. प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि उ0प्र0

Dr. K.K. SINGH
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स0व0प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

शासन से विश्वविद्यालय को विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदान की उपयोगिता प्रमाण–पत्र समय–समय पर अनिवार्य रूप से प्रेषित किये जाये जिसपर शासन द्वारा अवशेष धनराशि अविलम्ब उपलब्ध करायी जा सकें।

(कार्यवाहीः वित्त नियन्त्रक/समस्त, निदेशक/अधिष्ठाता)

2. श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 विधायक, जनपद–बदायूं द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विदेशी संस्थानों से किये गये एम0ओ0यू0 में इस प्रकार का खण्ड रखा जाये कि संदर्भित विदेशी संस्थानों में विश्वविद्यालय के कुलपति, कृषि वैज्ञानिक एवं मा0 सदस्यगण भी भ्रमण हेतु यात्रा–कार्यक्रम बना सके तथा इस पर होने वाले व्यय इत्यादि की स्वीकृति उ0प्र0 शासन से भी प्राप्त की जाये।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

3. श्री राजीव कुमार सिंह, मा0 विधायक, जनपद–बदायूं द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र, दातागंज, बदायूं की चारदीवारी का निर्माण कार्य उ0प्र0 शासन को प्रस्ताव प्रेषित करते हुए आर0के0वी0वाई0 के माध्यम कराने हेतु सुझाव दिया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव/नोडल अधिकारी, निर्माण)

4. डा0 सुधांशु सिंह, कृषि वैज्ञानिक द्वारा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं मुख्यालय पर विभिन्न प्रकार की लैब स्थापित कराते हुए रिसर्च एवं स्ट्रैन्थिंग के कार्यों पर प्राथमिकता पर कार्य किया जाना चाहिए।

(कार्यवाहीः निदेशक शोध/निदेशक प्रसार)

Dr. K.K. SINGH
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut

पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

वित्त नियन्त्रक द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(पंकज कुमार चतुर्वेदी)
वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद
पंकज कुमार चतुर्वेदी
वित्त नियन्त्रक
स०व०प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

अनुमोदित

(डा0 के0के0 सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद
Dr. K.K. SINGH
Vice-Chancellor
S.V.P.U.A.&T., Meerut